Invoking the provision of article 342 of the Constitution in relation to State of Punjab

4036. SHRI G.G. SWELL:
SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:

Will the Minister of WELFARE be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2705 given on 13th March, 1992 and Unstarred Question 1001 given in Rajya Sabha on 17th July, 1992 and state:

(a) whether there is any proposal to invole the provisions of Article 342 of the Constitution in the state of Punjab;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c) Come representations were received to include certain communities in the list of Scheduled Tribes in the State of Punjab. These representations are under examination in the context of comprehensive revision of SC/ST lists.

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाणपत्र

3037. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जाली प्रमाण पत्रों के सिलसिले में कोई शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें मिली है तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोग द्वारा कितनी शिकायतों के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही की गई है; और

(घ) आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (घ) यह सूचना राष्ट्रीय आयोग से एकत्र की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग का दर्जा

4038. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति / जनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है; यदि हां, तो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के उन व्यक्तियों की संख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक राहत प्रदान की गई है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया है, यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए है; और

(ग) क्या आयोग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 12.3.92 से सांविधिक दर्जा प्रदान किया है। आगे सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) संविधान (पैसठवां) संशोधन अधिनियम, 1990 के अनुसार अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति आयुक्त के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का पुनर्गठन 12.3.1992 को किया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Voluntary organisations in Orissa

4039. SHRI MANMOHAN MATHUR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of centrally sponsored and foreign assisted voluntary organisations functioning in Orissa;

(b) how many of them are functioning in Kalahandi district of Orissa;

(c) What are their achievements and whether any audit of accounts/monitoring of achievement have been done; and